व्यवहार वाद ०क्र० 03 ब /2022
अजय पाण्डेय विरूद्ध साहेबलाल

Witness No. ....**02**.... For **वादी साक्षी** Deposition taken the **16.06.2026** day of **मंगलवार** witness apparent age **41 वर्ष** State on affirmation **शपथ पूर्वक** My Name is – **बलराम कश्यप S/o स्व. श्री भैयाराम कश्यप** Occupation- **नौकरी** Address- **-निवासी कुरूडीह, थाना उरगा, जिला कोरबा छ०ग०**

साक्ष्य प्रारंभ समय 03:20 PM

नोटः- साक्षी का मुख्य परीक्षण **दिनांक 22.08.2025** को आदेश 18 नियम 4 व्य 0 प्र 0 सं0 के अधीन शपथ पत्र के रूप में पेश किया गया है जिसमें **01 से लेकर 10 कंडिका** है। आज दिनांक को साक्षी को पुनः शपथ दिलाकर मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री संजय सोयत्रा अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी

11. मैं वादभूमि का खसरा नंबर एवं रकबा नहीं जानता हूं, साक्षी का स्वतः कथन है कि 1 एकड़ के आस-पास है । यह कहना सही है कि मैं सौदा के संबंध में जानता हूं एवं सौदा के समय उपस्थित था किंतु इकरारनामा में मेरा हस्ताक्षर नहीं है, स्वतः कहा कि 2 लोगो का हस्ताक्षर हो गया था इसलिए मुझे नहीं कराए थे । जमीन के सौदा के समय वादी अजय पांडे उपस्थित था तथा जिसके समक्ष सौदा किया जा रहा था उसका नाम नहीं जानता हूं । साक्षी का स्वतः कथन है कि हम 4-5 लोग आए थे । मैं एवं अजय पांडेय तथा ड्राइवर तथा रश्मि रंजन कश्यप कोरबा से आए थे तथा प्रतिवादी की ओर से साक्षी राजेंद्र देवांगन एक राठौर कोई आया था ।

12. यह कहना सही है कि वादपत्र की कंडिका में जो खसरा नंबर लिखा है उसके बारे में आज याद नहीं है । इकरारनामा के समय जो चेक दिया था उस चेक का नंबर मैं नहीं जानता हूं। उक्त चेक 8,00,000/- रूपए का था । मैं हरनारायण राठौर को जानता हूं । इकरारनामा निष्पादन के समय हरनारायण भी उपस्थित था । मैं प्रतिवादी के पास 4-5 बार आया हूं लेकिन किस दिनांक एवं दिन को आया हूं मैं नहीं बता सकता, साक्षी का स्वतः कथन है कि फोन पर बात किया हूं तथा ज्यादातर अकेले ही वादभूमि के रजिस्ट्री कराने के संबंध में कहने के लिए आया हूं । साक्षी ने अब कहा कि रजिस्ट्री का पेपर तैयार कराने के

लिए बोलने के लिए आया था । मेरे वादपत्र की कौन-कौन सी कंडिका में क्या-क्या लिखा है आज मुझे याद नहीं है ।

13. वादी के अधिवक्ता द्वारा अगस्त 2021 में 2 नोटिस दिया गया था । उस नोटिस का जवाब प्रतिवादी ने दिया था और प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह कहा था कि मैं उक्त रकम को वापस कर दिया हूं ।

साक्ष्य समाप्ति समय 03:35 PM

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साक्षी का हस्ता-....................

सही/-
श्रीमती नम्रता नोरगे
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी चांपा,
जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

सही/-
श्रीमती नम्रता नोरगे
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी चांपा
जिला-जांजगीर-चांपा(छ.ग.)